संख्या-१९/2025/2765/26-3-2025-1677457

प्रेषक,

चन्द्र कुमार मिश्र,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 18 दिसम्बर, 2025

विषयः- **जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया के परिसर में अनुसूचित जनजाति की छात्राओं हेतु 100 छात्र क्षमता के छात्रावास भवन का निर्माण पूर्ण होने पर अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-187/ज0जा0वि0/43(1)/202526 दिनांक 06.10.2025 एवं संख्या-231/ज0जा0वि0/43(1)/202526 दिनांक 20.11.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया के परिसर में अनुसूचित जनजाति के छात्राओं हेतु 100 छात्र क्षमता के छात्रावास निर्माण हेतु पूर्व में निर्गत धनराशि के सापेक्ष उपभोग प्रमाण पत्र, गुणवत्ता प्रमाण पत्र, निरीक्षण आख्या, फोटो ग्राफ्स तथा थर्ड पार्टी जांच आख्या उपलब्ध कराते हुए आगणित धनराशि रू0-363.74 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0-18.19 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया के परिसर में अनुसूचित जनजाति के छात्राओं हेतु 100 छात्र क्षमता के छात्रावास निर्माण हेतु आगणित धनराशि रू0-363.74 लाख के सापेक्ष निर्गत धनराशि रू0-345.55 लाख शासन स्तर से नामित कार्यदायी यू0पी0प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 (यू0पी0पी0सी0एल0) को उपलब्ध करायी जा चुकी है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	**शासनादेश संख्या व दिनांक**	**स्वीकृत धनराशि**	**कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी गयी धनराशि**
1	15/2020/5300/26-3-2019, दिनांक 23.01.2020	181.87	181.87
2	07/2023/2967/26-3-2022-सीएन 1677457/फाइल नं0 26-3-3099/642/2022, दिनांक 19.01.2023	163.68 (रू0 81.84 शासन को समर्पित)	81.84
3	103/2023/001-3493/26-3-2023/सीएन-1677454, दिनांक 19.12.2023	81.84	81.84
	योग	345.55	345.55

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त छात्रावास के निर्माण के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-81 मुख्य लेखाशीर्ष-4225-02-796-05-मानक मद-24-वृहत निर्माण कार्य के मद से प्रश्नगत कार्य कराये जाने हेतु आगणित लागत रू0-363.74 लाख का 05 प्रतिशत अन्तिम किश्त के रूप में धनराशि रू0-18.19 लाख (रू0 अट्ठारह लाख उन्नीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है:-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(1) - प्रश्नगत धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि शासनादेश-15/2020/5300/26-3-2019, दिनांक 23.01.2020 एवं शासनादेश संख्या-07/2023/2967/26-3-2022/सी0एन0-1677457 / फाईल नं0-26-3099/642/2022, दिनांक- 19.01.2023 में वर्णित शर्तों का अनुपालन कर लिया गया है।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य मद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि / चार्जेज नही दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(3) प्रायोजना के कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी०एस०टी०) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी०एस०टी० भुगतान के सम्बन्ध में तिथिवार विवरण एवं प्रामाणिक प्रपत्र जी०एस०टी० इन्वायस सक्षम स्तर से निदेशक, जनजाति विकास विभाग के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबरसेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा ।

(4) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) निदेशक, जनजाति विकास विभाग द्वारा सुनिश्चित कराया जाय । स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(6) कार्य की विशिष्टियाँ, मानक एवं गुणवत्ता आदि की पूर्ण जिम्मेदारी निदेशक, जनजाति विकास एवं कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाय। इसके लिए परियोजना में टाइम ओवर रन / कास्ट ओवर रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017 /बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017, दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा प्रायोजना का पाई चार्ट कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) परियोजना में कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था / नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति / पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय ।

(9) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्कतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा । कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन निदेशालय, जनजाति विकास विभाग एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा । स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप निर्गत किया जाएगा। प्रश्न गत निर्माण कार्य हेतु विभागीय अप्रेजल कमेटी द्वारा संस्तुत मूल्यांकित धनराशि एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(10) प्रायोजना की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था / निदेशक जनजाति विकास विभाग द्वारा प्रेषित मांग एवं अभिलेखों के आधार पर अवमुक्त की जा रही है । अतः यदि परियोजना के मानक एवं अन्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में कोई सूचना भविष्य में गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था/ निदेशक, जनजाति विकास विभाग, उ०प्र० लखनऊ का होगा।

(11) प्रायोजना में स्वीकृत कार्यों/लागत से विचलन की दशा में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-बी-2-2528/दस-2014-10/77 दिनांक 26 अगस्त 2014 में अंकित प्राविधानों के अनुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये-18,19000/- (रुपये अट्ठारह लाख उन्नीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-081 लेखाशीर्ष-4225-02-796-05-मानक मद-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

5- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/ बी-1-352 / दस- 2025-231/2025 दिनाँक 27-03-2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(चन्द्र कुमार मिश्र)
अनु सचिव।

Digitally signed by CHANDRA KUMAR MISH
Date: 16-12-2025 15:04:12

पृ0संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि -निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज ।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ०प्र०प्रयागराज |
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी / जिला समाज कल्याण अधिकारी, बलिया ।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
6- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय, जनजाति विकास, उ०प्र० लखनऊ
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग - 4, उ०प्र० शासन ।
8 निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(चन्द्र कुमार मिश्र)
अनु सचिव।